17/विविध (सात निश्चय पार्ट-3)-22/2025-26 (17)

पत्रांक–.................../रा०,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, बिहार (रेल एवं यातायात छोड़कर)।

पटना, दिनांक–29.01.2026

विषयः– **भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम–2025 के दौरान भूमि विवादों से संबंधित प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आलोक में थाना स्तर पर पुलिस हस्तक्षेप संबंधित दिशा–निर्देश।**

महाशय,

सरकार के द्वारा सात निश्चय–3 (2025–2030) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ''सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of living)'' के संदर्भ में संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के नागरिकों (लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी धारियों सहित) के जीवन को आसान बनाने के क्रम में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–2025 का आयोजन सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है। उक्त संवाद में प्राप्त परिवादों एवं नागरिकों की जन शिकायत को ध्यान में रखकर भूमि विवादों के निस्तार हेतु थाना स्तर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका एवं हस्तक्षेप संबंधित दिशा–निर्देश निम्नवत होगी :–

1. **पुलिस–प्रशासन की भूमिका** – परिवाद/शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में केवल कानून व्यवस्था (Law & Order) में निम्न कार्य अपेक्षित है :–

i. पुलिस को भूमि विवाद की सूचना मिलते ही स्टेशन डायरी (SDE) में अलग, स्पष्ट प्रविष्टि अनिवार्य होगा, जो निम्नरूपेण है –

क. दोनों पक्षों का नाम एवं पता (मो० नं० यदि हो तो)

ख. भूमि विवाद की प्रकृति (राजस्व/सिविल/आपसी विवाद)

ग. विवादित भूमि का विवरणी (थाना नं०, खाता नं०, खेसरा नं०, रकवा, किस्म इत्यादि)

घ. विवाद का संक्षिप्त विवरण

ड. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई।

ii. यह स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि विषयांकित विवाद प्रथम दृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

iii. प्रत्येक भूमि विवाद की सूचना संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा।

iv. यह सूचना ई–मेल/आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी दी जा सकती है।

v. पुलिस प्रशासन द्वारा भूमि विवाद के मामले पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से ही निम्नांकित कार्य किया जायेगा –

क०पृ०उ०

क. दखल–कब्जा दिलाना।

ख. भूमि के चहारदीवारी का निर्माण (Boundary Wall) कार्य कराना।

ग. किसी प्रकार का निर्माण कराना।

vi. **शनिवारीय बैठक** – दिनांक–22.07.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भूमि विवाद मामलों के प्रभावी समाधान हेतु आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–915(7), दिनांक–30.07.2025 के द्वारा निम्नांकित आदेश संसूचित है – **''शनिवारीय साप्ताहिक बैठक प्रत्येक अंचल स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें अंचलाधिकारी स्वयं, राजस्व अधिकारी (यदि पदस्थापित हों तो) एवं सभी राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। थाना स्तर से यथासंभव थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। परंतु किसी कारण से उनकी अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तता होने पर अतिरिक्त थाना प्रभारी बैठक में उपस्थित रहेंगे, ताकि मामले का सम्यक् समाधान हो सके।''**

उक्त के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है –

क. भूमि विवाद की समस्याओं के तीव्र निष्पादन हेतु प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी की बैठक आयोजित होगी। इन बैठकों में सुलझाने की कार्यवाही अंचलाधिकारी विभागीय पोर्टल पर Upload करेंगे।

ख. पूर्व के भाँति धारा–107/116 द०प्र०सं०(BNSS के समकक्ष) पुलिस की भुमिका नियमानुसार रहेगी।

यह दिशा–निर्देश दिनांक–01.02.2026 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

29/01/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव।

विश्वासभाजन,

29/01/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध (सात निश्चय पार्ट-3)-22/2025-26(17) **पटना, दिनांक**–29.01.2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध (सात निश्चय पार्ट-3)-22/2025-26(17) **पटना, दिनांक**–29.01.2026

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/2026

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव।